

कार्यालय कलेक्टर (ई-गवर्नेन्स), कलैक्ट्रेट, जिला दतिया (म0प्र0)

क्र./डीईजीएस/यूनिकोड/2014-7/

दिनांक : 13.01.2014

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री, म.प्र. विद्युत मण्डल, दतिया
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया
3. सिविल सर्जन, दतिया
4. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दतिया
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, दतिया
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दतिया/सेवदा/भाण्डेर
7. तहसीलदार, दतिया/सेवदा/भाण्डेर/इन्दरगढ़/बड़ौनी
8. उपसंचालक, सामाजिक न्याय, दतिया
9. जिला आपूर्ति अधिकारी, दतिया
10. उपसंचालक, किसान कल्याण, दतिया
11. जिला परिवहन अधिकारी, दतिया
12. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दतिया
13. श्रम अधिकारी, दतिया
14. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, दतिया
15. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दतिया
16. जिला कोषालय अधिकारी, दतिया
17. जिला पेंशन अधिकारी, दतिया
18. जिला योजना अधिकारी, दतिया
19. सहायक संचालक, मत्स्य पालन विभाग, दतिया

विषय: शासकीय पत्र व्यवहार एवं क्रियाकलापों से संबंधित टाईपिंग कार्य में यूनिकोड तकनीक के प्रयोग के संबंध में।


संदर्भ: शासन का पत्र क्रमांक/2303/1799/2013/56 दिनांक 05/12/2013

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत शासकीय पत्र व्यवहार एवं क्रियाकलापों से संबंधित टाईपिंग कार्य में यूनिकोड तकनीक के प्रयोग के संबंध में निर्देशित किया गया है।

अतः कृपया संदर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कम्प्यूटर आधारित शासकीय पत्राचारों में शासकीय वेबसाईट पर अपलोड की जाने वाले वेबसामग्री में तथा कम्प्यूटर के

माध्यम से तैयार किये जाने वाले शासकीय दस्तावेजों में हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिये मानक रूप में यूनिकोड का उपयोग किया जाने का कष्ट करें जिससे आम 'आदमी तक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं एवं सुविधओं की पहुँच सहजता से संभव हो सके।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।



अपर कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी,
जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी
दतिया (MOPRO)

प्रतिलिपि:- $\frac{388}{17-1-14}$

1. वन मण्डलाधिकारी, दतिया
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, दतिया की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर कलेक्टर महोदय, दतिया की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दतिया की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला सूचना अधिकारी, दतिया की ओर भेजकर सूचित किया जाता है कि संदर्भित पत्र की प्रति वेबसाइट datia.nic.in पर अपलोड करायें।
6. कार्यालय अधीक्षक, कलैक्ट्रेट जिला दतिया की ओर सूचनार्थ।

5021
104
22-1-14



अपर कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी,
जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी
दतिया (MOPRO)

मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

e-Gov-11

क्रमांक/ 2303/12013/56,

भोपाल, 5 दिसम्बर, 2013

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागायुक्त,
5. समस्त जिला कलेक्टर,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

आदेश/कलेक्टर/विभाग/दस्तावेज/संख्या/

आवक क्र. दि.

मांक/ 2303/12013/56

पत्र क्र. दि.

निर्देश/...

विशेष निदेश/...

28 DEC 2013

3078
27-12-13

विषय : शासकीय पत्र व्यवहार एवं क्रियाकलापों से संबंधित टाईपिंग कार्य में यूनिकोड तकनीक के प्रयोग के संबंध में।

1. विभिन्न शासकीय विभागों/कार्यालयों द्वारा प्रायः कम्प्यूटर टाईपिंग कार्य हेतु हिन्दी फॉन्ट्स के रूप में DevLys010 अथवा KrutiDev010 या इसी प्रकार के अन्य फॉन्ट्स का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। इन फोन्ट्स का उपयोग करने के पहले इन्हे कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर इन्सटॉल करना जरूरी होता है, जिसके कारणवश इन फोन्ट्स के द्वारा निर्मित कम्प्यूटर दस्तावेजों को ई-मेल अथवा इन्टरनेट के माध्यम से वृहद स्तर पर संचारित करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये फॉन्ट्स पढ़ने और लिखने की दृष्टि से न तो वैश्विक स्वीकृति प्राप्त है और न ही सभी के लिए सुलभता से उपलब्ध हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सर्वस्वीकार्य भाषायी/लिपिकीय मानक के रूप में "यूनिकोड" का उपयोग सभी स्तरों पर बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 904/1307/2013/1-9 दिनांक 28.06.2013 के माध्यम से शासकीय पत्र व्यवहार एवं क्रियाकलापों में यूनिकोड का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है तथा शासकीय कार्य में Kruti Dev, Devlys या इसी प्रकार के अन्य हिन्दी फोन्ट्स का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा चुका है।

2. यूनिकोड तकनीक की पृष्ठभूमि, अवधारणा, विशेषताएँ एवं इसके इंस्टालेशन आदि की सम्पूर्ण तकनीकी प्रक्रिया को समाहित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोग हेतु एक सचित्र यूनिकोड मैनुअल तैयार किया गया है जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट (www.dit.mp.gov.in) अथवा मैप-आई.टी. की वेबसाइट (www.mapit.gov.in) अथवा म.प्र. शासन के स्टेट पोर्टल (www.mp.gov.in) अथवा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट (www.mpsedc.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया इस मैनुअल को डाउनलोड कर उसकी पर्याप्त प्रतियाँ करा कर विभाग/कार्यालय में कार्यरत संबंधित सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यूनिकोड तकनीक के विषय में जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करने के लिए मंत्रालय, वल्लभ भवन, भू-तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 56 में नियमित रूप से शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यूनिकोड का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जो विभाग/कार्यालय ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करना चाहते हैं वे कृपया इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

यूनिकोड तकनीक की सार्वभौमिक स्वीकार्यता एवं पहुंच को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि कम्प्यूटर आधारित शासकीय पत्राचारों में, शासकीय वेबसाइट्स पर अपलोड की जानेवाली वेबसामग्री में तथा कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जाने वाले शासकीय दस्तावेजों में हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए मानक रूप में यूनिकोड का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें जिससे आम आदमी तक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं एवं सुविधाओं की पहुंच सहजता से संभव हो सके।



(हरिरंजन राव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. 2304/1719/2013/56,

भोपाल, 5 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि :

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन; सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
18. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
20. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

(सुधीर कुमार कोचर)

अवर सचिव

म.प्र. शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

05/12/13